न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
130 /2011	88,89,91,188 RTA	मदनाखेडी	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
मु0 पारवती	बनाम	मु0 गोमाबाई वगै0

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
20.7.11	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88.89,91,188 आर टी ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सहिता का अवलोकल किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 03.08.2011 को पेश हो।	150 / 21.7.11
3.8.11	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० प्रतिवादी नं. 1,2,3 की ओर से श्री राजेश लोधा एड. द्वारा अन्डरटेकिंग दिया गया प्रतिवादी नं. 4,5 वावजूद प्रकरण के ज्ञान के उप० नहीं हो अत: उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20.9.11 को पेश हो।	1,2,3
20.9.11	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रतिवादी नं. 1 ता 3 की ओर से श्री राजेश लोधा एड. का वकालतनामा पेश हुआ पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 8.11.11 को पेश हो।	
8-11-11	पत्रावली पेश हुई वकलाय फरीकैन उप० जवाब पेश नहीं हुआ समय चाहा है पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14.12.11 को पेश हो।	
14.12.11	पत्रावली पेश हुई। श्री आदेश मित्र पारीक एड. के पिता जी का स्वर्गवास हो जाने के कारण अभिभाषकों द्वारा कण्डोलेन्स किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25.1.12 को पेश हो।	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
25/8/21	पत्रावली पूर्ववत स्थिति में covid-19 के कारण आज पेश हुई। आदेश सुनाया गया। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० नि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार छबड़ा को भेजी जावे। उपखण्ड अधिकारी छबड़ा, जिला बारां (राज0)

निर्णय वइजलास श्री मती मनीषा तिवारी आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–130–2011 दावा
दायरा दिनांक :–20.07.2011
निर्णय दिनांक :– 25|8|021

उनवान

1. मु. पारवती पुत्री घासी जाति बंजारा सा. मन्याखेडी तहसील छबड़ा जिला बारां।
2. पेमा आत्मज बल्ला उर्फ कल्ला फोत 2/1 मन्ना लाल 2/2 कमल 2/3 राजबाई आत्मज बल्ला उर्फ कल्ला बंजरा मन्याखेड़ी

बनाम

1. मुस. गोमाबाई पुत्री लाला जाति बंजारा सा. मन्याखेड़ी
2. मुस. धनिया उर्फ कल्ली पुत्री लाला बंजारा फोत 2/1 राजू 2/2 कांती 2/3 मंजू पुत्री हरदा सरपरस्त बली काका मोहन बंजारा मन्याखेड़ी तह. छबड़ा
3. मुस. जमनाबाई बेवा लाला जाति बंजारा सा. मान्याखेड़ी
4. राज. सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा
5. उपपंजीयन अधिकारी छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां राज.

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,91,188, आर.टी.ए
निर्णय दिनांक :– 25|8|021
अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह वादी

2. श्री राजेश लोधा प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगणों के इस आशय का इस न्यायालय मे पेश किया गया है, कि भूमि ख0 न0 112 की 1 बीघा 2 बिस्वा, 124 की 4 बिस्वा, 125 की 1 बीघा 8 बिस्वा, 92 की 2 बीघा 12 बिस्वा, 95 की 6 बिस्वा 18 बिस्वा कुल 5 किता आराजीयात मवाजी 12 बीघा 2 बिस्वा वाके माल मदनाखेड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां में स्थित है, जो पूर्व में वादी क्रम सं0 2 एवं उसके भाई घासी के शामलाती खातेदारी अर्थात राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबंदी में दर्ज चली आ रही थी।

उक्त वर्णित भूमियों का शामलाती खातेदार घासी जो की वादनी क्रम संख्या 1 पारवती का पिता था, का देहान्त अर्सा लगभग 33 वर्षो पूर्व हो चुका है, जिसके जाईज वारिस तथा कायम मुकामान प्रार्थीया क्रम संख्या 1 पारवती एवं उसकी माता मुस तुलसां होने के कारण अप्रार्थी क्रम स0 4 तहसीलदार छबड़ा द्वारा मृतक घासी का फोती इंतकाल नम्बर 142 दिनांक 25.12.1978 को प्रार्थीया क्रम संख्या 1 पारवती एवं उसकी माता तुलसां के नाम तस्दीक किया गया। प्रार्थीया क्रम संख्या 1 की माता तुलसां का भी देहान्त हो गया है। उक्त वर्णित भूमियो मे से भूमियां खसरा नम्बर 112 –124–125 का बेचान अन्य व्यक्तियों को किया जा चुका है। शेष भूमिया खा0 नं0 92 की 2 बीघा 12 बिस्वा, 95 की 6 बीघा 18 स्विा कुल किता आराजीयम मवाजी 9 बीघा 10 बिस्वा वादीनी क्रम संख्या 1 मु0 पारवती उसके पिता घासी एवं माता तुलसा की मृत्यु के पश्चात से नियमित रूप से अभी तक बेहेसियम मालिक एवं खातेदार के मृतक घासी के हिस्सा 1/2 पर काबिज है और काश्त करती चली आ रही है। इसी प्रकार हिस्सा 1/2 पर वादनी क्रम संख्या 2 पेमा काबिज है और नियमित रूप से काश्त करता चला आ रहा है। उक्त उर्णित भूहमयो का खातेदार घांसी की मृत्यु हो जाने के पश्चात वादनी क्रम संख्या 1 मु0 पारवती एवं उसकी माता मु0 तुलसा के पक्ष में तस्दीक किये गये है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

फौती इंतकाल नं0 142 ग्राम मदनाखेडी के पश्चात प्रतिवादीगण क्रम सं0 1 व 2 के पिता एवं प्रतिवादी क्रम सं0 3 के पिता लाला ने प्रतिवादी क्रम सं0 4 तहसीलदार छबडा के सम्बन्धित रेवन्यु अधिकारियो से साठ गाठ कर बगेर सूचना एवं बगेर अनुमति वादीगण के चुपचाप एक पक्षिय तोर पर वादनी क्रम सं0 1 पारवती के नाबालिग होने का नाजायज लाभ उठाते हुवे अपने आपको मृतक घांसी का वारिस बताते हुवे फर्जी एवं बनावटी पूर्ण तरीके से जालसाजी एवं षडयन्त्र रच कर मृतक घांसी का पुनः फौती इंतकाल नं0 158 अपने पक्ष मे तस्दीक करवा कर अवैधानिक तथा गेरकानूनी तरीके से मृतक घांसी का हिस्सा 1/2 को अपने नाम खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकार्ड भू–अभिलेख जमाबन्दी मे दर्ज करवा लिया जिसका कि प्रतिवादी क्रम सं0 1 व 2 के पिता एवं प्रतिवादी क्रम सं0 3 के पति लाला को किसी भी प्रकार का कोई वैधानिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त नही था और ना ही प्रतिवादी क्रम सं0 4 तहसीलदार छबडा को बिना सूचना एवं बिना जानकारी एवं बगेर अनुमति वादीगण के चुपचाप एकपक्षीय तोर पर वादीगण को सूनवाई का समुचित अवसर दिये बगेर ही उक्त इंतकाल नं0 158 ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा को तस्दीक करने का अधिकार प्राप्त था। उक्त बवैधानिक एवं गैरकानूनी तरीको से तसदीक किये जाने के कारण अवैध एवं प्रभावशून्य है। एंव लाला की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उसके वारिसान प्रतिवादी क्रम सं0 1 ता 3 को उक्त वर्णित भूमियो की प्राप्त खातेदारी हिससा 1/2 मृतक घांसी भी अवैध एवं प्रभावशून्य है। अतः वादीगण लाला के पक्ष मे तस्दीक किये गये इंतकाल नं0 158 ग्राम मदनाखेडी तह0 छबडा को निरस्त करवाने एवं लाला की मृत्यु पश्चात् प्रतिवादी क्रम सं0 1 ता 3 को प्राप्त खातेदारी को खारिज करवा कर उक्त वर्णित भूमिया हिस्सा 1/2 मृतक घांसी को वादनी क्रम सं0 1 मुस0 पारवती अपने नाम खातेदारी मे दर्ज कराने की वैधानिक एवं कानूनी तोर पर अधिकारी है।

मृतक घांसी का लाला वारिस नही है। और ना ही मृतक घांसी का भाई है बल्कि वादी क्रम सं0 2 पेमा की माता अमरी बाई ने अपने पति बल्ला उर्फ कल्ला के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् तुलसीराम मदनाखेडी वाले के साथ नाता कर लिया था। तुलसीराम के नुक्ते से लाला एवं धन्नी बाई का जन्म हुआ। अतः लाला तुलसीराम का पुत्र है। लाला को उक्त वर्णित भूमिया हिस्सा 1/2 मृतक घांसी पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही है लाला का एवं उसकी मृत्यु के पश्चात् मृतक घांसी के हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादी क्रम सं0 1 ता 3 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। और ना ही मौजुदा समय मे है बल्कि वादीगण उक्त वर्णित भूमियो को सदेव से नियमित रूप से अभी तक काश्त करते हुवे चले आ रहे है। अवैधानिक एवं गैरकानूनी करीको से तस्दीक किये गये इंतकाल नं0 158 की जानकारी पटवारी हल से नकले दिनांक 06.07.2011 को प्राप्त होने पर वादीगण ने तहसीलदार छबडा के सम्बन्धित रेवन्यू अधिकारीयो से सम्पर्क स्थापित कर लाला के पक्ष मे तस्दीक किये गये इंतकाल नं0 158 एवं लाला की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी क्रम सं0 1 ता 3 को प्राप्त खातेदारी को खारिज कर मृतक घांसी के 1/2 हिस्से की भूमियो को वादनी क्रम सं0 1 पारवती के नाम दर्ज कराने का काई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु वादीगण की कोई सुनवाई नही की अैर सक्षम न्यायालय मे खातेदारी का वाद पेश करने की हिदायत दी।

प्रतिवादी क्रम सं0 1 ता 3 लडाकू झगडालू किस्म की महिलाये है जो जबरन ताकत के बल पर वादीगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही उक्त वर्णित भूमियो पर अधिपत्य करने को आमादा है। दिनांक 10.07.2011 को वादीगण उक्त वर्णित भूमियो मे फसल सोयाबीन बो रहे थे कि प्रतिवादीगण क्रम सं0 1 ता 3 अपने निकटतम सहयोगियो के साथ लठ लकडियो से लेश होकर आये ओर वादीगण को फसल बोने मे बाधाये पहुचाई एंव लडाई झगडा एवं मारपीट करने को आमादा हो गये और निकट भविष्य मे उक्त वर्णित भूमियो पर अधिपत्य करने एवं भूमियो को अन्यत्र रहन बेच तथा हस्तान्तरण करने की वादीगण को धमकी दी।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा, जिला बारां (राज0)

इंतकाल नं0 158 ग्राम मदनाखेडी तह0 छबडा को अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित कर खारिज फरमाया जावे। एवं लाला की मृत्यु के पश्चात् हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादीगण क्रम सं0 1 ता 3 की खातेदारी को भी खारिज फरमाया जावे। एंव ग्राम मदनाखेडी तह0 छबडा की भूमियां खा0 नं0 92 की 2 बीघा 12 बिस्वा, 95 की 6 बीघा 18 बिस्वा कुल किता आराजीयात मवाजी 9 बीघा 10 बिस्वा के हिस्सा 1/2 पर वादनी क्रम सं0 1 मु0 पारवती को खातेदार घोषित किया जाकर भूमिया हिस्सा 1/2 को वादनी क्रम सं0 1 के नाम खातेदारी मे दर्ज करने का आदेश प्रतिवादीगण क्रम सं0 4 तहसीलदार सा0 के नाम पारित फरमाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगणो कि ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे जमाबन्दी ग्राम मदनाखेडी खाता सं0 76 सम्वत 2065 से 2068,नकल खतोनी बन्दोबस्त खाता नं0 34 ग्राम मदनाखेडी सम्वत 2012 से 2032 एवं खाता पेमा घांसी खसरा नं0 112,124,125,92,95, किता 5 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा,नकल नामा0 नं0 142 दिनांक 25.12.1978 ग्राम पंचायत पाली ,नकल नामा0 नं0 158 पेश की

वादी का वाद एवं प्रतिवादीगणो के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम कि गई।

1. आया कि आराजी ग्राम मदनाखेडी खसरा नं0 112 रकबा 1.02 बीघा,124 रकबा 4 बिस्वा,125 रकबा 1.06 बीघा खसरा नं0 92 रकबा 2.12 बीघा खसरा नं0 95 6.18 बीघा कुल 5 किता रकबा 12.02 बीघा जो पूर्व मे वादी क्रम 2 व उसके भाई घांसी के शामलाती खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। **वादी**

2. आया कि घांसी वादनी नं0 1 पारवती का पिता था घांसी का स्वर्गवास होने पर आराजी पारवती व तुलसा माता के नाम आई लेकिन प्रतिवादी 3 के पति लाला ने जालसाजी से 1/2 हिस्सा स्वयं के नाम दर्ज करवा ली लाला कि मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के नाम दर्ज हुई। **वादी**

3. आया कि वाद पत्र के मद नं0 1 मे वर्णित आराजी का पूर्व मे कब्जा अनुसार बटवारा हो गया था प्रतिवादी नं0 1 ने सम्पूर्ण अपना हिस्सा बेचान कर दिया अब कोई हिस्सा शेष नही है। **प्रतिवादी**

4. आया कि वादी का वाद मनघढत तथ्यो पर प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। **प्रतिवादी**

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान सूनी गई बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा की भूमि खसरा नंबर 112 की 1 बीघा 2 बिस्वा, 124 की 4 बिस्वा, 125 की 1 बीघा 8 बिस्वा, 92 की 2 बीघा 12 बिस्वा, 95 की 6 बिस्वा 18 बिस्वा कुल 5 किता आराजीयात मवाजी 12 बीघा 2 बिस्वा वाके माल मदनाखेडी तहसील छबड़ा जिला बारा राजस्थान है, जो पूर्व मे वादी/प्रार्थी क्रम संख्या 2 एवं उसके भाई घासी के शामलाती खातेदारी अर्थात राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबंदी मे दर्ज चली आ रही थी। उक्त वर्णित भूमियों का शामलाती खातेदार घासी जो की वादनी क्रम संख्या 1 पारवती का पिता था, का देहान्त अर्सा लगभग 33 वर्षो पूर्व हो चुका है, जिसके जाईज वारिस तथा कायम मुकामान प्रार्थीया क्रम संख्या 1 पारवती एवं उसकी माता मुस.तुलसां होने के कारण अप्रार्थी क्रम संख्या 4 तहसीलदार छबड़ा द्वारा मृतक घासी का फोती इंतकाल नम्बर 142 दिनांक 25.12.1978 को प्रार्थीया क्रम संख्या 1 पारवती एवं उसकी माता तुलसां के नाम तस्दीक किया गया। प्रार्थीया क्रम संख्या की माता तुलसां का भी देहान्त हो गया है। उक्त वर्णित भूमियों मे से भूमियां खसरा नंबर 112 –124–125 का बेचान अन्य व्यक्तियो को किया जा चुका है। शेष भूमिया खा0 नं0 92 की 2 बीघा 12 बिस्वा,95 की 6 बीघा 18 बिस्वा कुल किता आराजीयत मवाजी 9 बीघा 10 बिस्वा वादीनी क्रम सं0 1 मु0 पारवती उसके पिता घांसी एवं माता तुलसा की मृत्यु के पश्चात से नियमित रूप से अभी तक बेहेसियम मालिक एवं खातेदार के मृतक घांसी के हिस्सा 1/2 पर काबिज है और काश्त करती चली आ रही है। इसी प्रकार हिससा 1/2 पर वादनी क्रम सं0 2 पेमा काबिज

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

है ओर नियमित रूप से काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूहमयो का खातेदार घांसी की मृत्यु हो जाने के पश्चात वादनी क्रम सं0 1 मु0 पारवती एवं उसकी माता मु0 तुलसा के पक्ष मे तस्दीक किये गये फौती इंतकाल नं0 142 ग्राम मदनाखेडी के पश्चात प्रतिवादीगण क्रम सं0 1 व 2 के पिता एवं प्रतिवादी क्रम सं0 3 के पिता लाला ने प्रतिवादी क्रम सं0 4 तहसीलदार छबडज्ञ के सम्बन्धित रेवन्यु अधिकारियो से साठ गाठ कर बगेर सूचना एवं बगेर अनुमति वादीगण के चुपचाप एक पक्षिय तोर पर वादनी क्रम सं0 1 पारवती के नाबालिग होने का नाजायज लाभ उठाते हुवे अपने आपको मृतक घांसी का वारिस बताते हुवे फर्जी एवं बनावटी पूर्ण तरीके से जालसाजी एवं षडयन्त्र रच कर मृतक घांसी का पुनः फौती इंतकाल नं0 158 अपने पक्ष मे तस्दीक करवा कर अवैधानिक तथा गेरकानूनी तरीके से मृतक घांसी का हिस्सा 1/2 को अपने नाम खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकार्ड भू–अभिलेख जमाबन्दी मे दर्ज करवा लिया जिसका कि प्रतिवादी क्रम सं0 1 व 2 के पिता एवं प्रतिवादी क्रम सं0 3 के पति लाला को किसी भी प्रकार का कोई वैधानिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त नही था उक्त इंतकाल नं0 158 ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा को तस्दीक करने का अधिकार प्राप्त था। उक्त बवैधानिक एवं गैरकानूनी तरीको से तसदीक किये जाने के कारण अवैध एवं प्रभावशून्य है। एंव लाला की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उसके वारिसान प्रतिवादी क्रम सं0 1 ता 3 को उक्त वर्णित भूमियो की प्राप्त खातेदारी हिससा 1/2 मृतक घांसी भी अवैध एवं प्रभावशून्य है। अतः वादीगण लाला के पक्ष मे तस्दीक किये गये इंतकाल नं0 158 ग्राम मदनाखेडी तह0 छबडा को निरस्त करवाने एवं लाला की मृत्यु पश्चात् प्रतिवादी क्रम सं0 1 ता 3 को प्राप्त खातेदारी को खारिज करवा कर उक्त वर्णित भूमिया हिस्सा 1/2 मृतक घांसी को वादनी क्रम सं0 1 मुस0 पारवती अपने नाम खातेदारी मे दर्ज कराने की वैधानिक एवं कानूनी तोर पर अधिकारी है।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा कि वादग्रस्त आराजीयात को वादीगण क्रम 2 ने अपने भाई घांसी के शामलाती खातेदारी व राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम दर्ज होना बताकर वाद प्रस्तुत किया है जो सर्वथा गलत एव मनघढत तथ्यो के आधार पर किया जो कि वास्तविक तथ्य यह है कि विवादग्रस्त आराजीयात का पूर्व मै कब्जानुसार बटवारा हो गया था जिसमे कब्जानुसार जमाबन्दी मे नाम दर्ज हो गया था तथा जिसमे प्रतिवादी क्रम 1 ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा अन्यत्र व्यक्तियो को बेचान कर दिया है अब प्रतिवादी क्रम 1 का कोई हिस्सा शेष नही है।

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान सूनी गई पत्रावली एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया वादीया के वाद का तनकी वार निस्तारण निम्न प्रकार किया जाता है।

तनकी नम्बर–1 इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था प्रस्तुत नकल जमाबन्दी वाके ग्राम मदनाखेडी सम्वत 2065 से 2068 खाता सं0 76 के अनुसार पेमा पुत्र कल्ला हिस्सा 1/2 गोमा धनिया पुत्रिया लाला व जमना बेवा लाला हिस्सा 1/2 दर्ज होना पाया जाता है। नकल खातोनी बन्दोबस्त ग्राम मदनाखेडी सम्वत 2012 से 2032 खाता सं0 34 के अनुसार पेमा व घांसी आत्मज कल्ला कोम बंजारा सा0 देह दर्ज रिकार्ड है। नकल नामा0 142 ग्राम मदनाखेडी के अनुसार मृतक घांसी का फोती इंत्काल जुलसा बेवा घांसी के नाम दर्ज होना पाया जाता है नकल नामा0 158 वाके ग्राम मदनाखेडी के अनुसार मृतक घांसी का फोती नामा0 उसके सगे भाई लाला के नाम खोला जाकर तस्दीक किया गया इससे यह साबित होता है कि नामा0 नं0 158 मृतक घांसी के भाई लाला के नाम दर्ज किया गया है जो कि मृतक घांसी की जायज वारिस वादीया क्रम 1 पारवती मौजुद थी उसके नाम नामा0 खोला जाना चाहिए था। जो दर्ज नही किया गया है।अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–2 इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था प्रस्तुत नकल नामा0 158 के अनुसार मृतक घांसी के जायज वारिस का नामा0 दर्ज न किया जाकर मृतक के भाई लाला के नाम दर्ज कर दिया गया है। जो काबिल खारजी है। लाला के फोत होने के बाद उनके वारिसान के 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया

उपखण्ड अधिकारी
छबडा, जिला बारां (राज0)

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 हिस्सा 1/2 के खातेदार कृषक है। वादीया नामा0 नं. 158 खारिज करने कि हकदार है तथा वादीया क्रम 1 मृतक घांसी कि जायज वारिस होने से 1/2 हिस्से कि खातेदार कृषक घोषित कराने की अधिकारी है। अतः यह तनकी वादीया नं0 1 के पक्ष में निर्णित कि जाती है।

तनकी नम्बर–3 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण को था मुताबिक नकल खातोनी बन्दोबस्त सम्वत 2012 से 2032 के अनुसार पेमा व घांसीलाल आत्मज कल्ला कोम बंजारा के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है। उक्त विवादित अराजी में मृतक घांसी का 1/2 हिस्सा दर्ज है जो मृतक घांसी के फोती नामा0 दर्ज करते समय उसके भाई के नाम दर्ज कर दिया। घांसी का सगा भाई लाला का भी स्वर्गवास हो गया है। उक्त विवादित आराजी लाला के वारिसान के हिस्सा 1/2 दर्ज हो गई। प्रतिवादी क्र 1 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया गया होना बताया है जबकि उनको बेचान करने का कोई अधिकार नही है। वादिया क्रम 1 अपने पिता घांसी की आराजी पर खातेदार कृषक घोषित कराने कि अधिकारी है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–4 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण क्रम को था। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे वादीया का वाद मनगढत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया हो। वादिया का वाद स्वीकार करने योग्य है तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाना न्यायोचित है अतः यह तनकी प्रविवादीगण के विरूद्ध निर्णित कि जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के निस्तारण से मै इस निर्ष्कष पर पहुॅची हूॅ कि वादीगण का वाद स्वीकार एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाना न्यायोचित होगा।

::क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा इंतकाल नम्बर 158 ग्राम मदनाखेड़ी तहसील छबड़ा खारिज किया जाता है। ग्राम मदनाखेड़ी तहसील छबड़ा की भूमि खसरा नं0 92 रकबा 2.12 बीघा खसरा न.0 95 रकबा 6.18 बीघा कुल किता 2 रकबा 9.10 बीघा भूमि में हिस्सा 1/2 वादिया क्रम 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगणों को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि वादीगण की आराजी में किसी प्रकार की दखालंदाजी न तो स्वयं करे, न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। एवं दान रहन व बेचान आदि न करे। तहसीलदार तदद्नुसार पालना सुनिश्चित करे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

...न उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला–बारां (राज.)

प्राथमिक - **डिक्री**

...या 130/011	धारा अंतर्गत 88, 89, 91, 188 RTA	निर्णय दिनांक 25/8/021	
...क्ष :– द्वारा श्रीमती मनीषा तिवारी RAS उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला-बारां			
उपस्थिति :– अभिभाषक वादी अरविंद प्रताप सिंह एडवो.	अभिभाषक प्रतिवादी राजेश ओझा		

वाद शीर्षक

1- मु० पारवती पुत्री धासी जाति बंजारा निवासी मन्यारखेडी तह० छबडा
2- पेमा आत्मज बल्ला उर्फ कल्ला फोत 4/1 मन्नालाल 4/2 कमल 4/3 राजबाई आत्मज बल्ला उर्फ कल्ला बंजारा मन्यारखेडी तह० छबडा जिला-बारां (वादी)

V/S

1- गोमोबाई पुत्री लाला 2- धानिया उर्फ कल्ली पुत्री लाला फोत 4/1 राजू 4/2 कांती 4/3 मंजू पुत्री हरदा सरपरस्त ... काका मोहन बंजारा मन्यारखेडी
3 जमना बाई बेवा लाला बंजारा सा० मन्यारखेडी तह० छबडा जिला-बारां
4- राज० सरकार जरिये तहसीलदार छबडा जिला बारां
5- उप-पंजीयक तहसील छबडा जिला-बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरुप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी ~~गण~~ का वाद स्वीकार किया जाता है तथा इंतकाल नम्बर 158 ग्राम मदनाखेडी तह० छबडा खारिज किया जाता है। ग्राम मदनाखेडी तह० छबडा की भूमि ख०न० 92 रकबा- 2.92 बीघा ख०न० 95 रकबा 6.18 बीघा कुल किता 2 रकबा 9.10 बीघा भूमि में हि० 1/2 वादिया क्रम 1 को खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी गणों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण की आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करें। न तो स्वयं करें। और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। एवं दान, रहन बेचान आदि न करें। तहसीलदार तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

साथ ही निम्नानुसार..........रु. का व्ययानुतोष..........द्वारा..........को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 25.8.21 को निर्गत किया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज०)
हस्ताक्षर
उपखण्ड़ अधिकारी
छबड़ा

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
	योग		